फर्द अहकाम
(नियम 26)
नाम अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर** मुकाम **अलवर**
उनवान मीरा वगै0 बनाम शिवलाल वगै0
किस्म मुकदमा प्रा0पत्र नं. **17/1/2025** दायर दिनांकः– 07.01.2026

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026	प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151, सीपीसी वकील प्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर प्रस्तुत किया गया। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि मूल पत्रावली प्र.सं. 11/26/2014 दर्ज दिनांक 22.07.2014 निर्णय दिनांक 12.04.2023 के अपील मीमो में सहबन से असल रेस्पो0 सं. 1 ला0 3 व तर. रेस्पो0 सं. 5 ला0 7 का निवास ग्राम अखैगढ़ तहसील नदबई जिला भरतपुर के स्थान पर ग्राम अखैगढ तह0 कठूमर, जिला अलवर अंकित हो गया है, जबकि अखैगढ की तहसील नदबई है जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। आदेश दिनांक 19.03.2024 की पालना में मूल पत्रावली प्र.सं. 11/26/2014 दर्ज दिनांक 22.07.2014 निर्णय दिनांक 12.04.2023 को तलब किया गया। मूल पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अपील में अपीलाण्ट द्वारा सहबन से अपील मीमो में सहबन से असल रेस्पो0 सं. 1 ला0 3 व तर. रेस्पो0 सं. 5 ला0 6 का निवास ग्राम अखैगढ़ तहसील नदबई जिला भरतपुर के स्थान पर ग्राम अखैगढ तह0 कठूमर, जिला अलवर अंकित हो गया, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् संशोधित करने की हद तक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली प्र.सं. 11/26/2014 दर्ज दिनांक 22.07. 2014 निर्णय दिनांक 12.04.2023 के अपील मीमो व निर्णय में असल रेस्पो0 सं. 1 ला0 3 व तर. रेस्पो0 सं. 5 ला0 7 का निवास ग्राम अखैगढ तह0 कठूमर, जिला	

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अलवर के स्थान पर **"ग्राम अखैगढ़ तहसील नदबई जिला भरतपुर"** दुरूस्त किया जावे। निर्णय व अपील में लाल स्याही से दुरूस्ती का नोट अंकित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7.1.24

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम)–अलवर (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

(11)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/26/2014	2014/00013	22-07-2014	12-04-2023

01— मीरा पुत्री स्व0 सोहनलाल पत्नि आनन्दसिंह जाति चमार

02— असरफी पुत्री स्व0 सोहनलाल पत्नि हुकमसिंह जाति चमार निवासी ग्राम अखैगढ हाल वासी सांगरिया मौहल्ला बी नारायण गेट के पास भरतपुर। (राजस्थान)

—अपीलांट

बनाम

01— शिवलाल पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति चमार,

02— लीला पुत्र सोहनलाल जाति चमार,

03— मु. रामा पत्नि स्व. सोहनलाल जाति चमार निवासीयान ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

04— राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

—असल रेस्पोडेन्टान

05— लक्ष्मी पुत्री स्व0 सोहनलाल जाति चमार,

06— पुष्पा पुत्री स्व0 सोहनलाल जाति चमार,

07— राजो पुत्री स्व0 सोहनलाल जाति चमार, निवासी ग्राम अखैगढ़ तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

—तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर दिनांक 15.02.1994 नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर जिला अलवर जिसके द्वारा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम बेजा तोर पर स्वीकार किया गया है।

उपस्थितः—

01—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलान्ट

01—श्री राजबहादुर —वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 5 लगा0 7

03—श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

—:निर्णयः—

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 15.02.1994 नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या 863 में वर्णित आराजी खसरा न0 52, 53, 50 वाके ग्राम अखेगढ के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्टान एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति सोहनलाल था, जिनके परिवार के वारिसान का सजरा निम्नानुसार हैः— रामा (बेवा), शिवलाल (पुत्र), लीला (पुत्र), मीरा (पुत्री), असरफी (पुत्री), लक्ष्मी (पुत्री), पुष्पा (पुत्री), राजो (पुत्री) मृतक सोहनलाल के दो पुत्र रेस्पोडेन्टान शिवलाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

व लीला तथा पॉच पुत्री मिन अपीलान्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 5, 6, 7 है, जो सभी मृतक सोहनलाल के जायज व कानूनी वारिसान है, तथा मृतक की समस्त चल व अचल सम्पति में बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है, इनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज बाज होकर सोहनलाल के स्वर्गवास के पश्चात बाला–बाला केवल मात्र अपने नाम नामान्तकरण संख्या 863 दर्ज व स्वीकार करा लिया जिसका उन्हे कोई हक वो अधिकार किसी प्रकार का नही था, जबकि मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान भी मृतक सोहनलाल के जायज व कानूनी वारिसान है, तथा हमारे नाम भी बहिस्सा बराबर–बराबर नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करना चाहिए था। रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3 ने मात्र स्वंय के नाम नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार कर लिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को यह बखूबी जानकारी थी, कि मृतक सोहनलाल के वारिसान मिन अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान भी है, तथा मौके पर बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, तथा मिन अपीलान्टान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जायज व कानूनी वारिसान है। अब असल रेस्पोडेन्टान उक्त नामान्तकरण की आड में मिन अपीलान्टान को जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है। विवादित नामान्तकरण तहत अदालत ने बिना मिन अपीलान्टान को तलब किये बिना/मौके की जॉच किये बिना दर्ज कर निर्णित किया गया है, इससे मिन अपीलान्टान के हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होने का अंदेशा है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत करने से पूर्व मौके की जॉच करनी चाहिए थी तथा मिन अपीलान्टान को सुनकर नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। तहत अदालत को उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना चाहिए था, और यदि 45 दिवस तक ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार नही किया जाता है, तो ही तहसीलदार को नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने का अधिकार होता है। इस प्रकार तहत अदालत के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्टान को न तो तलब किया व न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, मिन अपीलान्टान का उक्त आराजी में हित निहित है, इस लिए मिन अपीलान्टान को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है, इस लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी का पृथक से पेश किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.1994 जानकारी मिन अपीलान्टान को सर्वप्रथम दिनाक 02.07.2014 को उस वक्त हुई, जब असल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3 ने मिन अपीलान्टान के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत की तथा कि मृतक का विरासत नामान्तकरण संख्या 863 रेस्पोडेटान संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्टान संख्या 4 से साज बाज होकर स्वंय के नाम दर्ज करा लिया और जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल करने की कोशिश कि जिस पर मिन अपीलान्टान ने दिनाक 03.07.2014 को नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल उसी दिन सांय को प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम के साथ पेश है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.1994 से जानकारी की दिनाक 03.07.2014 तक का समय बवजय लाइल्मी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर निर्णय दिनाक 14.02.1994 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर में वर्णित आराजी खसरा न0 52, 53, 50 वाके ग्राम अखेगढ तहसील कठूमर की विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अपील अपीलान्टान सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते जाहिर किया है, कि अपीलान्टान द्वारा 20 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गयी है, अपील करने में हुऐ विलम्ब का कारण भी स्पष्ट नही किया गया है, जबकि विलम्ब के मामले में दिन प्रति दिन का ब्यौरा देना होता है। तहसीलदार कठूमर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम मोती का नगंला तहसील कठूमर विधिवत जॉच कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

निर्णय पारित किया गया है। अपील में पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 863 निर्णय दिनांक 15.02.1994 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर जिला अलवर के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 22.07.2014 को पेश की गयी है, जो 20 वर्ष, 10 माह, 14 दिवस पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.1994 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 02.07.2014 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या 863 में वर्णित आराजी खसरा न0 52, 53, 50 वाके ग्राम अखेगढ के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्टान एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति सोहनलाल था, मृतक सोहनलाल के दो पुत्र रेस्पोडेन्टान शिवलाल व लीला तथा पॉच पुत्री मिन अपीलान्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 5, 6, 7 है, जो सभी मृतक सोहनलाल के जायज व कानूनी वारिसान है, रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है, इनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज बाज होकर सोहनलाल के स्वर्गवास के पश्चात बाला–बाला केवल मात्र अपने नाम नामान्तकरण संख्या 863 दर्ज व स्वीकार करा लिया जिसका उन्हे कोई हक वो अधिकार किसी प्रकार का नही था, तथा मिन अपीलान्टान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जायज व कानूनी वारिसान है। अब असल रेस्पोडेन्टान उक्त नामान्तकरण की आड में मिन अपीलान्टान को जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है। विवादित नामान्तकरण तहत अदालत ने बिना मिन अपीलान्टान को तलब किये बिना/मौके की जॉच किये बिना दर्ज कर निर्णित किया गया है, इससे मिन अपीलान्टान के हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होने का अंदेशा है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत करने से पूर्व मौके की जॉच करनी चाहिए थी तथा मिन अपीलान्टान को सुनकर नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। तहत अदालत को उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना चाहिए था, और यदि 45 दिवस तक ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार नही किया जाता है, तो ही तहसीलदार को नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने का अधिकार होता है। इस प्रकार तहत अदालत के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। पत्रावली/तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया अपीलान्टान द्वारा तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 15.02.1994 नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर के विरूद्व अपील पेश की गयी है, प्रस्तुत अपील में दिनाक 06.08.2014 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी का पेश कर अंकित किया गया है, कि अपील में नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखेगढ सहवन से दर्ज हो गया है, जबकि आराजी मोती का नंगला में स्थित है, जिसे दुरूस्त किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनाक 19.05.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर संशोधित अपील पेश करने हेतु आदेश दिये गये। वकील अपीलान्टान द्वारा दिनाक 28.12.2016 को संशोधित अपील पेश की गयी। जिस पर दिनाक 19.12.2022 को वकुलाय की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न तहत अदालत द्वारा जारी प्रमाणित नकल के अनुसार नामान्तकरण संख्या 863 निर्णय दिनाक 15.02.1994 ग्राम का नाम डोरोली अंकित है, नामान्तकरण संख्या 863 निर्णय दिनाक 15.02.1994 वाके ग्राम मोती का नंगला का कोई राजस्व रिकार्ड संलग्न नही है, स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण पत्रावली पुनः बहस हेतु दिनाक 28.12.2022 को नियत की गयी। वकील अपीलान्टान द्वारा दिनाक 18.01.2023 को प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है, कि ग्राम मोती का नंगला पूर्व में डोरोली की सीमा में था, किन्तु तत्पश्चात मोती का नंगला को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया था इस प्रकार अपीलाधीन आराजी हाल खसरा न0 52 व 53 मोती का नंगला पटवार क्षेत्र डोरोली तहसील कठूमर में स्थित है। साथ साबिक आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

खसरा न0 50 रकबा 5 बिस्वा के बाबत कोई अनुतोष किसी प्रकार का नही चॉह गया है। वकुलाय की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अपील अपीलान्टान आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.02.1994 नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम डोरोली (हाल मोती का नंगला) तहसील कठूमर खारिज किया जाता है, तथा अपील तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 50 को छोडकर शेष आराजी खसरा न0 52 व 53 के संबंध में पुनः जॉच कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्वत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ADDL. COLLECTOR (I) अति. जिला कलक्टर (प्रथम) * अलवर (राज.) * ALWAR (RAJ.)

संशोधित आदेश दिनांक - 07.01.2026

नोट!- निर्णय दिनांक 12.04.2023 में उनवान में असल रेस्पो० सं. 1 लग़ा० 3 व तर० रेस्पो० नं० 5 लगा० 7 का निवास ग्राम अखैगढ़ तह० कठूमर, जिला अलवर के स्थान पर "ग्राम अखैगढ़ तहसील नदबई जिला भरतपुर पढ़ा जावे। शेष यथावत रहेगा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)